



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक:-10.11.2022

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 918/2019 धारा 302, 307, 326ए भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त उमापति झाँ पुत्र स्व0 काशीनाथ झाँ निवासी ग्राम बसौली थाना रहिका जनपद मधुबनी बिहार हालपता बी-34/130-11 मानस नगर एक्सटेंसन थाना भेलूपुर वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक थाना-लंका एवं थाना लंका के पैरवीकार के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ASJ – 10 वाराणसी द्वारा दिनांक-10.11.2022 को अभियुक्त उमापति झाँ पुत्र स्व0 काशीनाथ झाँ को धारा-302 भादवि के अंतर्गत अजीवन कारावास की सजा तथा मु0 2,00,000 (दो लाख) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का दण्ड दिया गया । धारा 326ए भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास तथा मु0 1,00,000 (एक लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड दिया गया । सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी । जेल में बिताई गयी अवधि को सजा की अवधि में संयोजित किया जायेगा ।

(मीडिया सेल)
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी ।